

FORM-1
(For linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Uttarkashi.

No

Dated 12.10.18

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of India's letter No 11-9/98 (pt-) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects. It is certified that 5.969 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of N.H PWD Barkot division Uttarakashi District falls within jurisdiction Villages:- Fedi & Kumrada Dunda Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee are annexure 23 to 23.2 annexure.
 - (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub-Division level committee given their consent to it.
 - (c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.
- Encl- As above.


जिलाधिकारी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarakashi

OFFICE THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarakashi (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act(FRA). 2006.

A meeting of the district level Committee of Garhwal district. constituted under FRA. 2006 was held under the Chairmanship of Dr. Ashish Chauhan District Magistrate Uttarakashi on date 19-05-2017 at Time 11.00 AM at Uttarakashi in which application claiming rights in Forest land area measuring 5.969 hect for the Rehabilitation and widening of N.H PWD Barkot divison uttarakashi forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Divison level Committee of Dunda sub division were discussed to consider the same for admission by the district level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.
place: Uttarakashi

Dated: 12-10-2018


जिल्लाधिकारी
(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate
Uttarakashi

It is certified that- Minute of meeting of Construction of N.H PWD Barkot division all wathere road km.0.00 to 24.300 section in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

S .no		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 5.969 Hect. of reserve forest area proposed for diversion . A copy of record of all consultaions and meeting of the forest Right Committee (s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it. .	Yes. copy records attaché as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwallers. No objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid is from N.H PWD Barkot Uttarakashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not innvolve recogniged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

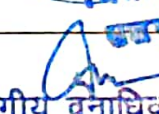
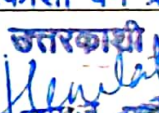
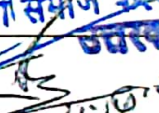
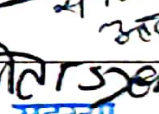
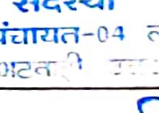

(Dr. Ashish Chauhan)

District Magistrate-cum Chairman
District Level Committee
Uttarakashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिती जिला उत्तरकाशी

आज दिनांक 12-10-18 को जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड दुण्डा के ग्राम फेडी कुमराडा के उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग - 94 (134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासु बैड से सिल्यारा बैड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौडीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए 5.969 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध मे वन अधिकार अधिनियम 2006 एव नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति

क्र०स	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	डा० आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	 जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री सन्दीप कुमार	प्रमागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	 प्रमागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रमाण
3	कु० हेमलता पाण्डेय	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	 उत्तरकाशी जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी
4	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	 जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी
5	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न० 4, उत्तरकाशी	 सदस्य जिला पंचायत-04 लवाड़ी वि० २०-२०८० उत्तरकाशी
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य वार्ड न० 16, उत्तरकाशी	 अनिल कुमार जिला पंचायत सदस्य वार्ड-16 लवाड़ी जिला- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए **5.969** हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा

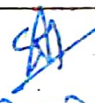
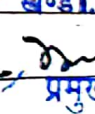
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, डुण्डा

उपखण्ड डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि **5:566** हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि **0.48** हे० वन पंचायत भूमि — हे०, अर्थात् कुल **5.969** हे० आरक्षित वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील डुण्डा की दिनांक **8-10-18** को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असवाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी <u>डुण्डा</u> अध्यक्ष	 उपजिलाधिकारी
2. श्री आर०बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>उत्तरकाशी</u> सदस्य	 डुण्डा, उत्तरकाशी
3. श्री सन्दीप राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी <u>डुण्डा</u> सदस्य/सचिव	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड, डुण्डा
4. श्री कनक पाल बी०डी०सी० प्रमुख <u>डुण्डा</u> सदस्य	 प्रमुख क्षेत्र पंचायत डुण्डा

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त मार्ग के परियोजना निर्माण हेतु **5.969** हे० वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः 2 पर

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, डुण्डा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्त मार्ग परियोजना निर्माण हेतु 5:969... हे0 वन भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार प्रयोक्ता एजेन्सी रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डुण्डा (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डुण्डा (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - कौड़ाफेडी, पट्टी- दसकी

तहसील - डुण्डा, जिला - उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन के लिए 5-9-69 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौड़ाफेडी (डुण्डा) द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौड़ाफेडी (डुण्डा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) कि०मी० 0.00 से 24.300 (धरासू बैड़ से सिलक्यारा बैड़) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाईड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
12/10/18
ग्राम सचिव श्री. प. वि. श्री
कौड़ाफेडी

ह०/-
वीरवीर
ग्राम पंचायत प्रमुख कौड़ाफेडी
पंच-विन्यास/30क

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक 3-10-16 के ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत का नाम - कौड़ाफेडी, पट्टी- दसकी
तहसील - दुण्डा, जिला - उत्तरकाशी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बच्चारे 82 श्री सय सिंह	बच्चारे
2		
3	उमेश सिंह	उमेश सिंह
4	विजय लाल	विजय लाल
5	संजय सिंह	संजय सिंह
6	भाग सिंह	भाग सिंह
7		
8	गंगा लाल	गंगा लाल
9	हरी लाल	हरी लाल
10	मातवरु लाल	मातवरु
11	इलम	इलम
12	मनीष	मनीष
13	भरत सिंह	भरत सिंह
14		
15		
16		
17		
18		

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग - 94 (134) किमी० 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यू
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, गेंवला
वि०ख०-डुण्डा, उत्तरकाशी



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 3-10-19..... में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यू
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	रजकानचन्द	रजकानचन्द
2	मन्नाचन्द	मन्नाचन्द
3	विजयपाल - चन्द रमोला	
4	श्री कुत्तर - चन्द रमोला	
5	जी - प्रकाश चन्द रमोला	
6	रमेश चन्द रमेश चन्द रमेश	रमेश चन्द
7	रमेश चन्द रमोला	रमेश
8	लालम चन्द	लालम
9	विनीत चन्द	
10	गिरीश चन्द	Gandhi
11	भद्रे चन्द	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग - 94 (134) किमी० 0.000 से 24.300 (धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र)

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यूं
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन के लिए हे० वन भूमि हस्तांतरण राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि० बड़कोट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा द्वारा दिनांक 3-10-18..... को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुमराड़ा (गेंवला), डुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि० बड़कोट को उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 94(134) किमी० 0.000 से 24.300(धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड) तक चार धाम परियोजना के (ऑलवेदर रोड) के अन्तर्गत चौड़ीकरण निर्माण हेतु अतिरिक्त डम्पिंग एवं लैण्ड स्लाइड ट्रीटमेंट जोन परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....
वि०ख०-....., उत्तरकाशी



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-23.1

दिनांक ३-१२-१९..... में ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम - कुमराड़ा (गेंवला), पट्टी- भण्डारस्यूं
तहसील - डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	27 वरिष्ठ च २६	27 वरिष्ठ च २६
2	कलूच चन्द	कलूच चन्द
3	विजयपाल-चन्द रमोला	
4	श्री अन्तर-चन्द रमोला	
5	श्री-प्रकाश-चन्द रमोला	
6	रमेश-चन्द रमोला	रमेश-चन्द
7	रजिन्द्र-चन्द रमोला	रमोला
8	वल्लभ-चन्द	वल्लभ
9	विनोद-चन्द	
10	गिरीश-चन्द	Bunde
11	महेन्द्र-चन्द	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		